फ़ोन/Phone: 91-22-6656 4096
ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in
वेबसाइट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

SAGARMALA G20 GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023 150 Harbour of Progress & Prosperity

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Dy.CE/ 1315

15th April 2025.

Recruitment Notice

The Chairpersons
All Major Port Authorities

Sir/ Madam,

Sub: Filling up 3 (three) posts of Deputy Chief Engineer (Civil) in the pay scale of Rs.80000-220000 by absorption through composite Method in Mumbai Port Authority – Reg.

....

1. Three posts of Deputy Chief Engineer (Civil) in Mumbai Port Authority have fallen vacant. These posts are to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I.** The application shall be submitted through **'Online Application Portal (OAP)'** of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways' (website http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) from **16.4.2025 to 15.5.2025.**. No application submitted other than OAP will be accepted.

4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.

5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates along with the **following documents** superscribing **"Application for the post of Deputy Chief Engineer (Civil) in Mumbai Port Authority" on or before 30.5.2025.**

Contd

फोन/Phone: 91-22-6656 4096
ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

SAGARMALA PORT-LED PROSPERITY · G20 वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE · GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023 CONNECT | COLLABORATE | CREATE · 150 Harbour of Progress & Prosperity

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-उमुअ/ 1315 — 15 अप्रैल 2025

भर्ती सूचना

अध्यक्ष
सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता (सिविल) के 3 पद रु. 80000-220000 के वेतनमान में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा भरना -संबंधी.

------

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता के 3 (तीन) पद रिक्त हो गये है. ये पद **अनुलग्नक - I** में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से **संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा** भरे जाने है.

2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग(श्रेणीकरण) "व्हेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. **अनुलग्नक- I** में यथा उल्लिखित निधारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के **पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं**. आवेदन **16.4.2025** से **15.5.2025** तक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट (http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) के **"ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)"** के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें.

5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर **"मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता (सिविल) पद के लिए आवेदन"** लिखने के बाद **30.5.2025** को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे.

(i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2019-20 to 2023-24), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*

(ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the Head of Department/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished* ***along with APARs of the preceding years;***

(iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*

(iv) *No objection certificate from the respective Port.*

(v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*

(vi) *Administrative clearance of the concerned port* ***(Annexure II)***

(vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format* ***(Annexure III).***

(viii) *Two passport size photographs.*

(ix) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application.*

6. As per the Ministry's circular No. 29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **30.5.2025**. **Applications received after 30.5.2025 will not be considered.**

7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal / part forwarding will be considered.

8. **The crucial date for eligibility criteria will be the last date of receipt of applications i.e. 15.5.2025** in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

(i) *पिछले 5 वर्षों की (2019-20 से 2023-24 तक) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;*

(ii) *वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;*

(iii) *शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.*

(iv) *संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.*

(v) *आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;*

(vi) *संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ती प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक II**).*

(vii) *निर्धारित फॉर्मेट (**अनुलग्नक III**) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरुरी है.*

(viii) *दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स*

(ix) *पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर यदि कोई छोटा या बडा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातो को आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकरण द्वारा भेजा जाए.*

6. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, **यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ** तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अत: महापत्तनों से अनुरोध है कि वे आवेदनों को संलग्नकों के संपूर्ण सेटसहित **30.5.2025** को या उसके पहले अग्रेषित करे. **<u>उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.</u>**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरुरी है. आंशिक/ टुकडों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दि.11.8.2021 के परिपत्र सं.ए-29018/4/2081/पीअ-I के अनुसार पात्रता मानदण्डों की निर्णायक तिथि आवेदन के समापन की अंतिम तिथि अर्थात **<u>15.5.2025</u>** होगी.

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HOD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

Encl: As above

15/4

(P.N. BAHEKAR)
SECRETARY

COPY TO:

1) **The Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways,** New Delhi for information. Soft copy of the circular is already forwarded on email address : pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in. — **(Kind Attn: Shri P.K. Roy, Director – PHRD)**

2) Copy alongwith accompaniments forwarded to the Chief Engineer for information and circulation amongst eligible officers of Civil Engineering Department.

3) Copy to Jt. Director - ... – to hoist on website

----

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन पदधारी, सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, वे दो वर्षो की अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन पर रोक के लिए उत्तरदायी होंगे.

10. अपूर्ण आवेदनों तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

(पवन ना. बाहेकर)
सचिव

संलग्न. यथोक्त.

प्रतिलिपि:

1) **सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,** नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित. परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पते: pravin.s@nic.in और web-ship@gov.in. पर अग्रेषित की गई है. **(ध्यानाकर्षण: श्री पी. के. रॉय, निदेशक, पीएचआरडी)**

2) प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग के पात्र अधिकारियों को सूचना तथा परिचालित करने हेतु मुख्य अभियंता को अग्रेषित.

3) संयुक्त निदेशक-को वेबसाईट पर डालने के लिए प्रेषित.

Annexure I

Civil Engineering Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation)	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	**Dy. Chief Engineer (Civil)**	7	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	**Essential :-** (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/ Institution (ii) Twelve years experience in executive cadre in Planning/ Constn./Design/ Maintenance preferably of Port and Marine structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	a) No b) Yes c) No	N.A.	**By absorption** through composite method failing which **By deputation** from other Government Organisations and failing both **By direct** recruitment	**For absorption** through composite method, Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt.in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Superintending Engg. and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. **For deputation**,Officers holding analogous posts or officers holding post of Supdg. Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs Autonomous Bodies will be eligible. The selection by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

अनुलग्नक I

स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग

क्र स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	पद चयन है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भती या पदोन्नति/ विलियन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	7	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	अनिवार्य : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से नागरी अभियांत्रिकी में पदवी या समकक्ष ii)औद्योगिक/ वाणिजियक/ सरकारी उपक्रम में योजना/ निर्माण/ अभिकल्प/ अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री संरचना में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नाहीं	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन अथवा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुवित द्वारा या दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा.	महापत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा नागरी अभियांत्रिकी विभाग के संबध्द क्षेत्र में 13000-18250 रूपये वेतनमान में 3 वर्ष से कार्यकर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास में सिविल अभियांत्रिकी विभाग में दो वर्षों से नियमित कार्य कर रहे और 10750-16750 रु एवं 13000-18250 रु वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्षों से नियमित कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन के योग्य है. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी और सिविल अभियंता विभाग के संबध्द क्षेत्र में 13000-18250 रु वेतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के योग्य है. चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की सम्पूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना आवश्यक है.	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. ____________________________

Designation____________________________

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.

2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.

3. His/Her integrity is certified.

4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.

5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2019 to 31.3.2024) are enclosed.

6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

अनुलग्नक-II

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती ---------------------------

पद ---------------------------------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2019 to 31.3.2024) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

Annexure III
Format III

MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10 Positions held **including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity** (During the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint **with vigilance angle** pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

अनुलग्नक III

फॉर्मेट-III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कारवाई की गई है (यदि हा, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

तिथि :

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि : **(मुख्य सतर्कता अधिकारी)**

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.